

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

32 / 2021
24.03.2021

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

श्योजी पुत्र कल्याण धाकड निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज.

—अपीलांत

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 19.02.2021 मिसल नम्बर 2828 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 14.08.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2021 के द्वारा अपीलान्त को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1280 मे से रकबा 0.02 है0किस्म गै0मु0 बाडा वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान व बाडा तथा चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 200/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांत की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांत के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को निर्णय पारित करने के उपरान्त अपीलांत ने उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर अपने निर्णय दिनांक 23.12.2020 से पत्रावली रिमाण्ड की गई थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार पालना ना कर नया प्रकरण बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांत का किसी प्रकार का पश्चात्तवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। पटवारी के बयानो मे पूर्व निर्णय का



जिला कलेक्टर

टोंक

उल्लेख नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1280 मे से रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 बाडा वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान व बाडा तथा चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की और से रामफूल की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1280 मे से रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 बाडा वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान व बाडा तथा चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1168/2020 निर्णय दिनांक 28.10.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 19.02.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला फलेंक्टर,
जिला फलेंक्टर, टोक
टांक